न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 88/2016

सरकार बनाम मुनेश्वर सिंह

आदेश

26-12-20 प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज के पत्रांक 966, दिनांक 13.11.2014 से श्री मुनेश्वर सिंह, पिता – रामलखन सिंह ग्राम बकुलाखोह पो0– राजपुर, अंचल – राजपुर जिला – रोहतास के नाम से कायम जामबंदी सं0 – 8/24 I के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया है, जिसमें वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

वादगत भूमि का विवरण

अंचल का नाम	मौजा/थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
राजपुर	राजपुर/07	933	3524	0.32ए0
			3509	0.12ए0

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज द्वारा प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का रिविजनल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से इन्द्राज है। अंचल अधिकारी राजपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी श्री मुनेश्वर सिंह, पिता – रामलखन सिंह ग्राम बकुलाखोह पो0– राजपुर, अंचल – राजपुर के नाम से कायम कर दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अंचल अधिकारी राजपुर के द्वारा कायम किए गए जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

किस्म जमीन अनाबाद बिहार सरकार है। वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षों को नोटिश निर्गत की गयी। द्वितीय पक्ष दिनांक 18.03.2016 को वकालतनामा के साथ उपस्थित हुए, उसके उपारान्त लागातार अनुस्थित रहे पुनः न्यायालय द्वारा द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु नोटिस तामिला होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित विवादित जमाबंदीदार को प्रश्नगत जमाबंदी के सन्दर्भ अपना दावा के सर्मथन में कोई साक्ष्य नहीं रखना है।

राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर राज्य का पक्ष रखा तथा अपना लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होने वादगत भूमि का आर0एस0 खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से कायम है तथा सक्षम प्राधिकार लगान निर्धारण द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव तथा सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन तथा वाद के विचारण से निम्नवत तथ्य स्थापित होता है :–

(1) बिहार काश्तकारी (संशोधन अधिनियम), 2017 के अधिनियम की धारा 158(सी) के अनुसार वैसी रैयती बेलगान/काबिल लगान भूमि का, जिसका लगान भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी।

(2) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक नं0 4012/66–6308 एल0 आर0, दिनांक 01.09.1966 के पत्रानुसार लगान निर्धारण की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता में निहित किया गया। उक्त आदेश के पूर्व लगान निर्धारण अंचल अधिकारी द्वारा किया जाता था। वादगत भूमि का लगान निर्धारण वर्ष 2010–11 में किए जाने का उल्लेख है परन्तु उक्त लगान निर्धारण वाद संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उक्त जमाबंदी रद्दीकरण वाद में इस न्यायालय द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें अंचल अधिकारी राजपुर से अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालिन राजस्व

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 88/2016

कर्मचारी मो0 नेसार अहमद द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0 05/2012–13 अंकित कर जमाबंदी सं0 8/24 I कायम किया गया है तथा जमाबंदी पंजी पर तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री शिरीष कुमार चौहान का हस्ताक्षर है, एवं यह टिप्पणी भी अंकित है कि जॉच किया एवं सही पाया । परन्तु उक्त लगान निर्धारण वाद का कोई साक्ष्य अंचल कार्यालय राजपुर में उपलब्ध नहीं है। केवल एक साधारण पंजी संधारित है। जिसमें जमाबंदी का जिक किया गया है। परन्तु उस पंजी में किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त जमाबंदी संधारित किया गया है ,जो राजस्व विभागीय नियमावलियों के प्रतिकुल है। अतएव अंचल अधिकारी, राजपुर के जमाबंदी रद्दी वाद सं0 86/2014–15 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वादगत भूमि मौजा–राजपुर, थाना सं0 – 07, खाता सं0 – 933, खेसरा सं0 – 3524, 3509 रकबा – 0.44ए0 की जमाबंदी श्री मुनेश्वर सिंह, पिता – रामलखन सिंह ग्राम बकुलाखोह पो0– राजपुर, अंचल – राजपुर के नाम से कायम है, का जमाबंदी सं0 – 8/24 I को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के section - 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् जमाबंदी रद्द किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिकमगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी रोहतास को भेजना सुनिश्चित करें।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)।

अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक – 105 /न्या0, दिनांक – 15/1/2017

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी राजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता बिक्रमगंज/स्थापना उप समाहर्ता, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0 (NIC) रोहतास, सासाराम को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/12/16

अपर समाहर्ता, रोहतास, सासाराम।